



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 933]
No. 933]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 28, 2004/कार्तिक 6, 1926
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 2004/KARTIKA 6, 1926

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2004

का.आ. 1199(अ).—जबकि भारत के राजपत्र; असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) दिनांक 3 अगस्त, 2004 में प्रकाशित भारत सरकार, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.905 (अ.), दिनांक 3 अगस्त, 2004 के अधीन कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित कयर उद्योग नियम, 1954 को और संशोधित करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप उसके द्वारा प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों से सरकारी राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था।

और जबकि उक्त अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं किया गया था;

अब, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा कयर उद्योग नियम, 1954 को संशोधित करने के निम्नलिखित नियम बनाती है नामतः:-

1. (i) उन्हें कयर उद्योग (दूसरा संशोधन) नियम, 2004 कहा जा सकता है।
(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. कयर उद्योग नियम, 1954 में, नियम 4, उप-नियम (1), श्रेणी (छ) में “10” अंक के लिए “19” का अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा।

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-11, खण्ड 3(i) में अधिसूचना संख्या का.नि.आ.2226, दिनांक 6.7.1954 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उन्हें निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित किया गया है:-

1. का.नि.आ.973, दिनांक 29.4.1955
2. का.नि.आ.3983, दिनांक 12-12-1955
3. का.नि.आ.3669, दिनांक 17-12-1955
4. का.नि.आ.877, दिनांक 9-4-1960
5. सा.का.नि.1088, दिनांक 18-6-1963
6. का.आ.2983, दिनांक 6-5-1967
7. सा.का.नि.1122, दिनांक 21-7-1969
8. सा.का.नि.1588, दिनांक 28-9-1976
9. सा.का.नि.2498, दिनांक 28-9-1976
10. सा.का.नि.390(अ), दिनांक 30-5-1983
11. सा.का.नि.694(अ), दिनांक 30-7-1992
12. सा.का.नि.832(अ), दिनांक 29-10-1992
13. का.आ.784(अ), दिनांक 14-9-1995
14. का.आ.44(अ), दिनांक 15-1-1996
15. का.आ.905(अ), दिनांक 3-8-2004

**MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES
NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th October, 2004

S.O. 1199(E).— Whereas the draft of certain rules further to amend the Coir Industry Rules, 1954 was published as required by sub-section (1) of section 26 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) under the notification of the Government of India in the Ministry of Agro and Rural Industries, number S.O 905(E) dated the 3rd August, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 3rd August, 2004, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty five days from the date of the publication of the said notification in the Official Gazette.

And whereas no objection or suggestion was received from the public on the said draft rules, within the said period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Coir Industry Rules, 1954 namely:-

1. (i) These may be called the Coir Industry (Second Amendment) Rules, 2004.

- (ii) They shall come into effect on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Coir Industry Rules, 1954, in rule 4, in sub-rule (1), in category (g), for the figure "10", the figure "19" shall be substituted.

[F. No. 6(4)/2004-Coir]

A. P. PADHI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3(i) vide notification number SRO 2226 dated 6.7.1954 and has been amended vide following numbers:-

SRO 973 dated 29.4.55
SRO 3983 dated 12.12.1955
SRO 3669 dated 17.12.1955
SRO 877 dated 9.4.1960
GSR 1088 dated 18.6.1963
SO 2983 dated 6.5.1967
GSR 1122 dated 21.7.1969
GSR 1588 dated 9.7.1976
GSR 2498 dated 28.9.1976
GSR 390(E) dated 30.5.1983
GSR 694(E) dated 30.7.1992
GSR 832(E) dated 29.10.1992
SO 784(E) dated 14.9.1995
SO 44(E) dated 15.1.1996
SO 905 (E) dated 3.8.2004.